बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

आदेश

का० आ० सं० स्था० 3 रा०– 14/88......58......./रा0, पटना, दिनांक ......11-8-14......

निबंधित

जिला पदाधिकारी, प०चम्पारण (बेतिया) ने अपने पत्रांक– 77/स्था०, दिनांक 05.07.13 के द्वारा श्री सेराजउद्दीन खाँ, उर्दू अनुवादक, रामनगर प्रखण्ड, पश्चिम चम्पारण के विरूद्ध प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में बरती गयी अनियमितता के आलोक में विभागीय कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया। फलस्वरूप विभागीय आदेश सं०– 62/रा० दिनांक 17.12.2013 के द्वारा श्री सेराजउद्दीन खाँ, उर्दू अनुवादक के विरूद्ध प्राप्त प्रपत्र 'क' को अनुमोदित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया) को दिया गया।

जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण ने अपने पत्रांक– 76/स्था० दिनांक 28.04.14 के द्वारा जाँच–प्रतिवेदन एवं अभिलेखों को सक्षम प्राधिकार को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया।

संचालन पदाधिकारी का जाँच–प्रतिवेदन एवं आरोप–पत्र के समीक्षोपरांत निम्न तथ्य प्रकाश में आए :–

(i) श्री खाँ के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सं०– 5, 6, 9 एवं 13 प्रमाणित नहीं पाये गये हैं।

(ii) आरोप संख्या– 1 आपूर्ति कार्यालय में श्री खाँ द्वारा गलत व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाना प्रमाणित पाया गया।

(iii) आरोप संख्या– 2 बिक्रेतावार कम्यूनिकेशन प्लान, निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यों का नाम पता इत्यादि खाँ द्वारा उपलब्ध नहीं कराना प्रमाणित पाया गया।

(iv) आरोप संख्या– 3 एवं 4 अवितरित कूपन को अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को नहीं पहुँचाना प्रमाणित पाया गया।

(v) आरोप संख्या– 7 अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी, बगहा को रामनगर अंचल को निदेश था कि अक्टूबर, 2012 के आवंटन सामंजन करना था लेकिन आपके द्वारा मनमानी की गयी और आवंटन का सामंजन नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया।

(vi) आरोप संख्या– 8 अक्तूबर, 2012 के नेफ्ट में बहुत सारे गलत और अवैध नेफ्ट कार्यालय में पाया जाना प्रमाणित पाया गया।

(vii) आरोप संख्या– 10 कार्यों का निष्पादन अपने घर से करना तथा ससमय प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजना प्रमाणित पाया गया।

(viii) आरोप संख्या– 11 कार्यालय से अनुपस्थित रहना तथा उदंडतापूर्ण आचरण का आरोप प्रमाणित पाया गया।

(ix) आरोप संख्या– 12 दिनांक 06.11.2012 को अपूर्ति की बैठक का प्रतिवेदन जमा नहीं करना प्रमाणित पाया गया एवं

(x) आरोप संख्या– 14 वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप प्रमाणित पाया गया।

अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में श्री सेराजउद्दीन खाँ, उर्दू अनुवादक, रामनगर प्रखण्ड, प० चम्पारण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (i), (ii) एवं (iv) के आलोक में निदेशानुसार निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किये जाते हैं :–

1. निन्दन की सजा
2. तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक एवं
3. असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक

उपरोक्त दण्ड के साथ तात्कालिक प्रभाव से विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है।

ह०/–
(अजय कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव–सह–निदेशक (उर्दू)

ज्ञाप सं०— स्था०— 3रा०— 14/88 328 /रा०, पटना, दिनांक 11-8-14

प्रतिलिपि :— जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण को उनके पत्रांक— 76/स्था० दिनांक 28.04.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रतिलिपि :— जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. **प्रतिलिपि** :— प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामनगर प्रखण्ड, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं सेवा पुस्त में आवश्यक प्रविष्टि करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

4. **प्रतिलिपि** :— श्री सेराजउद्दीन खाँ, उर्दू अनुवादक, रामनगर प्रखण्ड, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5. **प्रतिलिपि** :— आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु दी जाती है।

11/8/14

(अजय कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव—सह—निदेशक (उर्दू)

E:\Shakil\Vijay\Office Order On- 14-88- Date- 08-08-2014.doc